भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 165

सोमवार, 5 फरवरी, 2024 (16 माघ,1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

मुंबई विमानपत्तन के रनवे पर यात्रियों का भोजन करना

165. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2024 में मुंबई विमानपत्तन के रनवे पर यात्रियों को भोजन करने की अनुमति देने के लिए विमान संचालकों पर आर्थिक जुर्माना लगाने के अलावा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यात्रियों को रनवे पर भोजन करने की अनुमति देना सुरक्षा मानकों के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है, और

(ग) इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ग): सरकार ने विमानन सुरक्षा और हवाई सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर मैसर्स इंटरग्लोब एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। आर्थिक जुर्माने के अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उड़ान के मार्ग परिवर्तन और विमान के उड़ान भरने में अत्यधिक विलंब के मामले में विमान को संपर्क स्टैंड पर खड़ा किया जाना चाहिए ताकि यदि आवश्यक हो तो यात्रियों को विमान से उतारकर टर्मिनल भवन में भेजा जा सके।

भोजन के पैकेटों का अवशेष विमान के सिस्टम (इंजन सहित) में प्रवेश कर सकता है और विमान की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। एप्रन पर पड़े अवशेष पदार्थ वन्य जीवों को भी आकर्षित करेंगे, जिसका असर एयरक्राफ़्ट सिस्टम्स पर पड़ सकता है।

****